

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास,

क्रमांक :-सखअ/रूप/रि.अ.1/डायवर्जन/2022/48

दिनांक- 06-01-2023

नोडल अधिकारी
एफसीए जयपुर (राज.)।

विषय:- निकट ग्राम पहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर में प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्र 248.5515 हैक्टेयर के संबंध में।

प्रसंग:- उप वन संरक्षक भरतपुर के पत्र क्रमांक एफ()FCA/उवसं/2022/9407 दिनांक 26.12.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में पहाडपुर वन क्षेत्र डायवर्जन हेतु परिवेश पोर्टल पर दिनांक 03.11.2021 को 248.5515 हैक्टेयर का आवेदन किया गया। जिसका ऑनलाईन आवेदन संख्या FP/RJ/MIN/149012/2021 है। उक्त प्रस्ताव को श्रीमान शासन उप सचिव खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 18.10.2022 के क्रम में 15.30 हैक्टेयर क्षेत्र बंध बरैटा वन्यजीव अभ्यारण के इको सेंसेटिव जोन में आने के कारण एवं खण्डित खनन पट्टा संख्या 124/1990 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में स्थगन होने से उक्त खनन पट्टा के क्षेत्र को हटाया जाकर 248.5515 हैक्टेयर क्षेत्र के स्थान पर संशोधित 188.7620 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु वन अनारक्षण के प्रस्ताव दिनांक 08.12.2022 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि पहाडपुर वन क्षेत्र डायवर्जन हेतु प्रस्तावित 248.5515 हैक्टेयर क्षेत्र ऑनलाईन आवेदन संख्या FP/RJ/MIN/149012/2021 को प्रत्याहारित करने का श्रम करावें।

भवदीय

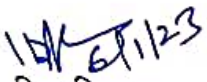

(आर. एन. मंगल)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास, भरतपुर

क्रमांक :-सखअ/रूप/रि.अ.1/डायवर्जन/2022/49-52

दिनांक- 06-01-2023

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. श्रीमान निदेशक महोदय निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
02. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा, जोन कोटा।
03. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भरतपुर/जयपुर।


सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास, भरतपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ()FCA/उवसं/2022/
निमित्त,

दिनांक:

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
अरण्य भवन, जयपुर।

विषय:—Diversification of 248.5515 Ha. Of forest land in favour of DMG Rajasthan in Pahadpur Block A & B for mining and generation of employment and earning of revenue for Government in Bharatpur District in the State of Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021)

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक:एफ16(उपददह)2021/एफसीए/प्रमुवसं/3826-28 दिनांक 16.11.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा उक्त प्रकरण में आपके पत्रांक 3633 दिनांक 02.11.2022 द्वारा व्याप्त कमियों का उल्लेख कर, सही एवं पूर्ण बिन्दुवार सूचना मय दस्तावेज तत्काल चाही गई है।

इस संबंध में निवेदन है कि कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, रूपवास ने पत्र क्रमांक:सखअ/रूप/रि.आ/डायवर्सन/2022/2675 दिनांक 12.12.2022 द्वारा बंध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य के ईको-सेन्सिटिव में आने वाला क्षेत्र एवं खण्डित खनन पट्टा संख्या 124/1990 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में स्थगन होने से उक्त खनन पट्टा के क्षेत्र को हटाया जाकर, 248.5515 हैक्टर के स्थान पर संशोधित 188.7620 हैक्टेयर क्षेत्रफल हेतु वन अनाखण के प्रस्ताव दिनांक 08.12.2022 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर, प्रतियों संलग्न प्रस्तुत की है।

अतः संदर्भित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग का पत्रांक 2675 दिनांक 12.12.2022 संलग्न सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रवि कुमार मीणा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक: एफ()FCA/उवसं/2022/5407

दिनांक: 26/11/22

प्रतिलिपि:—सहायक खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान, रूपवास, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा संशोधित प्रस्ताव ऑनलाइन किया जा चुका है। अतः पूर्व प्रस्ताव (Proposal No. FP/RJ/MIN/149012/2021) को परिवेश पोर्टल से प्रत्याहारित करावें।

उप वन संरक्षक
भरतपुर